# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 47/18 GCMS NO 2018/00209

1. बातूली पत्नि फकीरा (मृतक) (हजफ)
2. होशियार पुत्र फकीरा
3. जमील पुत्र फकीरा
4. जब्बार पुत्र फकीरा (मृतक) (हजफ)
5. सईद खां पुत्र जंहागीर
6. बुद्वि खां पुत्र जांहगीर
7. असगर पुत्र जांहगीर जातियान गददी मुसलमान निवासीयान पीलोदा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. अली खां पुत्र गुलाब खां जाति मुसलमान गददी निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
2. टूण्डा पुत्र गुलाब खां जाति मुसलमान गददी निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

**(अपील विरूद्व मु0नं0 190/08 निर्णय व डिकी दिनांक 27.2.18 न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी)**

अभिभाषक अपीला0 श्री जे0के0गर्ग

अभिभाषक रेस्पो0 श्री भानु कुमार सिंहल

दिनांक 4.11.2024

## निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय व डिकी दिनांक 27.2.18 न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र इस्तकरार हक खातेदारी टीनेन्सी,हुक्म इम्तनाई दवामी एवं इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि ग्राम पीलोदा मे हाल सेटलमेंट हुआ जिसमे वादीगण की साबिक भूमि ख0न0 1656 के अलग अलग नम्बर कायम किये। जिनमे वादीगण को सेटलमेट विभाग ने जो पर्चा दिया उसमे ख0न0 1848 रकबा 0.15 है0दर्ज किया तथा 1849 रकबा 0.31 है0 दर्ज किया और मौके पर इतने रकबे पर वादीगण का कब्जा पाया और कब्जे अनुसार पर्चा जारी किया। इस पर्चे के अनुसार दोनो रकबो का लगान सम्वत 2039 से वादीगण जमा कराते आ रहे है। बाद मे सेटलमेंट वालो से प्रतिवादीगण ने साजिश कर गलत व नाजायज तौर से वादीगण के ख0न0 1848 रकबा 0.15 है0 का 0.09 है0 कर दिया तथा 1849 रकबा 0.31 है0 का 0.16 है0 कर दिया तथा प्रतिवादीगण के नाम गलत व नाजायज [illegible] /[illegible]6 रकबा 0.06 है0 तथा 1849/5945 रकबा 0.15 है0 दर्ज कर [illegible] अधिकार नही है। प्रतिवादीगण उक्त गलत इन्द्राज की आड मे वादीगण को मौके [illegible] दखल करने पर आमा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

सेटलमेट के नक्शे मे ख0न0 1848 रकबा 0.15 है0 तथा ख0न0 1849 रकबा 0.31 है0 दर्ज है नक्शे मे कोई तरमीम नही हुई है। इस प्रकार सेटलमेट द्वारा की गलती को दुरूस्त किया जाकर पूर्व की भांति ख0न0 1848 रकबा 0.15 है0 तथा ख0न0 1849 रकबा 0.31 है0 वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण/अपीलांट के कब्जे काश्त मे बेदखल नही करे तथा उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर वादी/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 ता 3 का निर्णय वादीगण/अपीलांट के विरूद्व किया है जो विधि विरूद्व है। शहादत व रिकार्ड से दावा वादी पूरी तरह सिद्व है। भू प्रबंध अधिकारियो को पक्का पर्चा जारी करने के पश्चात पर्चा निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नही है। केवल कच्चे पर्चे के इन्द्राज को ही दुरूस्त कर सकते है। पक्के पर्चे को दुरूस्त करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को प्राप्त है। वादग्रस्त भूमि पर एकीकरण के समय से ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। भू प्रबंध विभाग ने कब्जे के आधार पर ही पक्का पर्चा जारी किया है। यह भूमि एकीकरण से पूर्व वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि रही है। प्रतिवादीगण ने एकीकरण से पूर्व का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही किया है। वादीगण की मौखिक साक्ष्य से भी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा होना प्रमाणित है। साक्ष्य प्रतिवादीगण से भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा प्रमाणित नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो के साक्ष्यो की विवेचना किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कियाा है। जो विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर वादग्रस्त भूमि का इन्द्राज खातेदारी वादीगण के हक मे किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि सेटलमेंट विभाग ने गलती से साबिक ख0न0 1656 का रकबा बढा दिया गया जबकि मौके पर वादीगण का उक्त आराजीयात पर कभी कब्जा नही रहा है वादीगण ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार साबिक ख0न0 1656 का रकबा 5 बीघा 15 विस्वा रहा है। जिसके हाल बंदोबस्त मे मिलान क्षेत्रफल के अनुसार ख0न0 1847 रकबा 17 ऐयर, 1848 रकबा 9 ऐयर, 1849 रकबा 16 ऐयर, 1850 रकबा 30 एयर, 1851 रकबा 17 एयर, 1852 रकबा 4 एयर, 1853 रकबा 19 ऐयर, 1854 रकबा 32 ऐयर , 1855 रकबा 29 एयर बनता है जिसका कुल रकबा 1.73 है0 होता है। जो सात बीघा के करीब होता है। जो साबिक ख0न0 1656 के रकबा 5 बीघा 15 विस्वा से करीब 1 बीघा 4 विस्वा ज्यादा होता है। इस प्रकार मौके पर साबिक ख0न0 1656 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

रकबा बढा दिया है। मौके पर वादीगण का कब्जा उक्त आराजीयात पर कभी नही रहा है। वादीगण का कथन रहा कि ख0न0 1848 रकबा 15 ऐयर तथा 1849 का रकबा 31 एयर दर्ज किया है यह कथन गलत है। सेटलमेंट द्वारा वादीगण का रकबा कम करने का कथन भी गलत है। आराजीयात ख0न0 1848/5946 रकबा 6 ऐयर तथा ख0न0 1849/5945 रकबा 15 ऐयर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के नाम दर्ज करने का कथन अपीलांट का गलत है क्योकि उक्त दोनो बटा नम्बर रेस्पो/प्रतिवादीगण के साबिक ख0न0 1654 रकबा 9 बीघा 19 विस्वा से बने नबंर है। हाल बंदोबस्त ने प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के साबिक ख0न0 1654 के जो नये नबंर कायम किये है उसमे राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण/रेस्पो0 का 4 विस्वा कम लगाया है। जो पूरा होने योग्य है। उक्त दोनो ख0न0 की भूमि प्रतिवादीगण/रेस्पो0 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। जो राजस्व रिकार्ड से बखूबी साबित है। वादीगण/अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र तथ्यो को छुपाया जाकर मनगढन्त झूठी कहानी बनाकर पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण के जिम्मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर पूर्ण विवेचन विश्लेषण करने के उपरान्त ही वादीगण/अपीलाट का वाद पत्र विधि के अनुरूप खारिज किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादीगण/अपीलांट द्वारा सेटलमेंट विभाग द्वारा साबिक भूमि ख0न0 1656 के अलग अलग नम्बर कायम किये जाकर वादीगण को सेटलमेट विभाग ने जो पर्चा दिया उसमे ख0न0 1848 रकबा 0.15 है0दर्ज किया तथा 1849 रकबा 0.31 है0 दर्ज किया और मौके पर इतने रकबे पर वादीगण का कब्जा पाया और कब्जे अनुसार पर्चा जारी किया। बाद मे सेटलमेंट वालो से प्रतिवादीगण ने साजिश कर गलत व नाजायज तौर से वादीगण के ख0न0 1848 रकबा 0.15 है0 का 0.09 है0 कर दिया तथा 1849 रकबा 0.31 है0 का 0.16 है0 कर दिया तथा प्रतिवादीगण के नाम गलत व नाजायज 1848/5946 रकबा 0.06 है0 तथा 1849/5945 रकबा 0.15 है0 दर्ज कर दिया। जिसे वादी/अपीलांट दुरूस्त कराने का अधिकारी होने से वाद पेश किया गया था। अपीलांट/वादीगण द्वारा सेटलमेंट के पश्चात दिये गये पर्चे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु वाद पत्र पेश किया गया था। अपीलांट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को सिद्व करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के जिम्मे तनकी संख्या 1 ता 3 को सिद्व करने का भार निहित किया गया था जिसे वादी/अपीलांट अपने पक्ष मे सिद्व नही कर पाया एवं प्रतिवादीगण के जिम्मे तनकी संख्या 4 व 5 कायम की गई जिन्है प्रतिवादी सिद्व करने मे सफल रहे है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे वादी एवं प्रतिवादीगण के जिम्मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का पूर्व विवेचन एवं विश्लेषण करने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो विधि के अनुरूप है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतःअपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:48 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अतःअपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 190/08 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.18 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:53:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner